

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर
(भामाशाह योजना प्रकोष्ठ)

क्रमांक: एफ17(1)/2/भामाशाह/डीईएस/2014/ 46941-73

दिनांक: 19/12/2014

उप/सहायक निदेशक,
(जिला भामाशाह अधिकारी)
आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय,
समस्त राजस्थान

विषय: - "भामाशाह योजना 2014" के अन्तर्गत होर्डिंग्स लगाने हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में भामाशाह योजना के अन्तर्गत भामाशाह कार्ड/लाभों के वितरण के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिलों में पंचायत समिति/नगर निकाय स्तर पर होर्डिंग्स लगाये जाने हैं। अतः निम्नानुसार अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाता हैं। प्रत्येक होर्डिंग की 3000 रुपये अनुमानित लागत मानते हुए राशि आवंटित की जा रही है।

S.No.	Name of District	Proposed budget for Hording Block & Muncipalty Level	
		PS+M	Budget in Rs.
1	2	3	4
1	AJMER	15	45000
2	ALWAR	21	63000
3	BANSWARA	10	30000
4	BARAN	11	33000
5	BARMER	10	30000
6	BHARATPUR	18	54000
7	BHILWARA	18	54000
8	BIKANER	10	30000
9	BUNDI	11	33000
10	CHITTORGARH	17	51000
11	CHURU	16	48000
12	DAUSA	8	24000
13	DHOLPUR	7	21000
14	DUNGARPUR	7	21000
15	GANGANAGAR	18	54000
16	HANUMANGARH	13	39000
17	JAIPUR	24	72000



18	JAISALEMR	5	15000
19	JALORE	11	33000
20	JHALAWAR	11	33000
21	JHUNJHUNU	20	60000
22	JODHPUR	14	42000
23	KAURALI	8	24000
24	KOTA	9	27000
25	NAGOUR	21	63000
26	PALI	19	57000
27	PRATAPGARH	7	21000
28	RAJSAMAND	11	33000
29	SAWAI MADHOPUR	7	21000
30	SIKAR	17	51000
31	SIROHI	10	30000
32	TONK	12	36000
33	UDAIPUR	16	48000
	TOTAL	432	1296000

उपरोक्त राशि बजट मद 3454-02-203-(02)-[01]-11-विज्ञापन विक्रय, प्रचार और प्रसार व्यय (आयोजना) से प्रभार्य होगी।

इस राशि का उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकेगा:-

- 1.आवंटित राशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जावे तथा जिस कार्य के लिये राशि आवंटित की गई है उसी कार्य के लिए व्यय की जावें।
- 2.आवंटित राशि के गतिविधिवार/लेखा शीर्षवार लेखे एवं बजट नियंत्रण पंजिका संधारित की जावे।
- 3.राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम-नियामक एवं स्थापित प्रक्रिया तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जावे।
- 4.प्रतिमाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्र में बजट मदवार लेखा शाखा को भिजवाना सुनिश्चित करे।


(ओम प्रकाश बैरवा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ17(1)/2/भामाशाह/डीईएस/2014/46994-78

दिनांक: 19/12/2014

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1.महालेखाकार (लेखा एवं हक), राज., जयपुर।
- 2.जिला कलेक्टर एवं जिला भामाशाह प्रबंधक समस्त।
- 3.निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
- 4.लेखाधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर को बजट ऑन-लाईन करने हेतु।
- 5.ए.सी.पी. मुख्यालय को भामाशाह वेबसाइट पर डालने हेतु।
- 6.रक्षित पत्रावली।


(आर.एस.लॉवर)

संयुक्त निदेशक (भामाशाह)